राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम) अनुभाग

क्रमांकः– प.13(2)वित्त/नियम/ 2016 जयपुर दिनांक : 04 JUN 2025

परिपत्र

विषयः–राज्य के बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में वर्गीकृत समकक्ष पदों के अनुसार वर्गीकरण किये जाने एवं एसीपी/एमएसीपी के अंतर्गत लाभ दिये जाने बाबत्।

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों तथा एसीपी/एमएसीपी योजना के अन्तर्गत देय वित्तीय उन्नयन के प्रावधानों में समय समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं। उक्त संशोधित प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को लाभ दिये जाने से पूर्व RAPSAR Act, 1999 के तहत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रम/ स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा RAPSAR Act, 1999 के प्रावधानानुसार उक्त अधिनियम में वर्णित वित्त विभाग के सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ही स्वयं के स्तर से वेतन एवं भत्तों तथा एसीपी/एमएसीपी आदि के प्रावधान लागू किये जा रहे हैं। जिससे बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रम/ स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार के कार्मिकों से अधिक लाभ स्वीकृत किये जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिनके उद्धरण निम्नवत हैः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम क्रमशः 19 एवं 20 के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से लागू एसीपी योजना में अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा के कार्मिकों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर तथा राज्य सेवा के अधिकारियों को 10, 20 व 30 वर्ष की सेवा पर वित्तीय उन्नयन का लाभ देय था, किन्तु बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं /विश्वविद्यालय आदि में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा का वर्गीकरण राज्य सरकार के अनुसार नहीं होने के कारण सभी वर्ग का वित्तीय उन्नयन का लाभ 9, 10 व 27 वर्ष की सेवा पर ही प्रदान किया जाना पाया गया है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 के अंतर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना F.15(1)FD/Rules/2017 pt. दिनांक 06.10.2023 के द्वारा वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान की तर्ज पर एम.ए.सी.पी. (MACP) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन में पदोन्नति पद का लाभ दिये जाने के दिनांक 01.04.2023 से प्रावधान किये गये हैं। एम.ए.सी.पी. (MACP) के उक्त प्रावधान के अनुसार उसी सेवा (Same Service) में उपलब्ध अगले पदोन्नति पद के पे-लेवल का लाभ स्वीकृत किया जाता है। उसी सेवा में अगला पदोन्नति पद नहीं होने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14(5) में वर्णित तालिका के अनुसार वित्तीय उन्नयन का लाभ देय है।

राज्य सरकार में विभिन्न पदों का राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1958 के अंतर्गत राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में वर्गीकरण किया गया है। बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में सेवाओं का वर्गीकरण राज्य सरकार के अनुरूप नहीं होने पर भी एसीपी/एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। राज्य सरकार की एसीपी/एम.ए.सी.पी. (MACP) योजना के तहत देय वित्तीय उन्नयन के अनुरूप लाभ प्रदान किये जाने हेतु संबंधित संस्थानों द्वारा RAPSAR Act, 1999 के प्रावधान के अनुसार वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित था।

अतः बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालय द्वारा एसीपी/एमएसीपी योजना के अन्तर्गत देय किये गये वित्तीय उन्नयन की निम्नलिखित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर वित्तीय उन्नयन संशोधित किये जावेः–

(1) बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालय में ए.सी.पी योजना के लिए समस्त प्रशासनिक निर्णय/कार्यो से संबंधित पद ग्रेड–पे 4800/पे–लेवल–12 एवं उससे ऊपर (सीधी भर्ती/पदोन्नति) के पदों राज्य सेवा के पदों के समकक्ष मानते हुए एसीपी योजना में वित्तीय उन्नयन दिनांक 31.03.2023 तक 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पर तथा दिनांक 01.04.2023 से 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जावे।

(2) राज्य सरकार की अधीनस्थ सेवा/मन्त्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवाओं में वर्णित पदनामों के आधार पर बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में सृजित पदों के लिए राज्य सरकार के समकक्ष पदों के वर्गीकरण के अनुसार ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ देय किया जावें। उदाहरणार्थ–राज्य सरकार में कनिष्ठ अभियंता का पद अधीनस्थ सेवा का तथा सहायक अभियंता पद राज्य सेवा का पद है, जबकि बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रम इत्यादि में इन पदो का उक्तानुसार वर्गीकरण नहीं है। इसी तरह राज्य सरकार में प्रोग्रामर का पद राज्य सेवा का पद है। जबकि विश्वविद्यालयों में उक्त पद अधीनस्थ सेवा का है।

(3) बोर्ड/निगम/राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में जो पद राज्य सरकार की अधीनस्थ सेवाओं/मन्त्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमों में वर्णित पदनाम से सृजित नहीं है। ऐसे पदो की कार्य की प्रकृति, पद की भर्ती एवं पदोन्नति की योग्यता सम्बन्धी प्रावधान एवं पद की ग्रेड–पे/पे–लेवल के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न सेवा नियमों की अनुसूची में वर्णित पदों के प्रावधानानुसार संस्था के वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकर द्वारा समकक्षता स्थापित करते हुए ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ दिया जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(देवाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया। (वित्त)
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्य मंत्री।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष।
10. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–।, वित्त (नियम)

(रेप्सर–1/2025)